न्यायालय अवर न्यायाधीश,बनमनखी (पूर्णियाँ)

स्वत्व वाद संख्या–359/2012

24.02 .2020

उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी के दिनांक–14.11.2019 के आवेदन एवं प्रतिवादी के दिनांक–13.12.2019 के प्रतिउत्तर पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के दिनांक–14.11.2019 के आवेदन से प्रतित होता है कि वादी पूर्व से निर्धारित वाद बिन्दु को Recast करना चाहते है। वाद का विचारण प्रारंभ हुआ है। वाद के निर्णय तक न्यायालय को जब भी वाद बिन्दु को Recast करने की आवश्यकता महसुस होगी तो न्यायालय किसी भी प्रक्रम पर वाद बिन्दु को Recast कर सकती है। वर्तमान मे वाद बिन्दु को Recast करने की कोई आवश्यकता नही है। अतः वादी के दिनांक–14.11.2019 के आवेदन को निष्तारित करते हुए वादी को निर्देश दिया जाता है कि वादी अगली तिथि से साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करे।

वाद दिनांक–07.03.2020 वास्ते साक्ष्य।

अवर न्यायाधीश

बनमनखी,(पूर्णियाँ)